

न्यायालय—विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म0प्र0)

व्यवहार वाद क्रमांक 01ए/2014

फाइलिंग नम्बर 230301000372014

संस्थित दिनांक 31.12.13

1. रामदत्त पुत्र कुन्दर

2. सुरेश पुत्र कुन्दर

निवासी ग्राम छिरीयापुरा पगरना अटेर

व जिला भिण्ड म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर

2. कैलाश नारायण पुत्र रामेश्वर

निवासी ग्राम छिरीयापुरा परगना अटेर व

जिला भिण्ड(म.प्र.)

..... अनावेदकगण

///आदेश ///

/// आज दिनांक 01/03/2014को पारित किया गया ///

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 आई0ए0 नंबर 3 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/प्रतिवादीगण के स्वामित्व का एक गौड़ा ग्राम छिड़यापुरा में स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्राम छिड़यापुरा की बसाहट के समय से ही निजी इस्तैमाल हेतु उपयोग करते रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण/आवेदकगण निस्तार करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में आवेदकगण का ही कब्जा है। गत वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा आर.सी.सी. की सड़क डालने से आवेदकगण का मकान व गौड़ा दो भागों में विभाविज हो गया। मकान के आगे रोड पड़ गई है। सड़क से मकान पूर्व की ओर गौड़ा पश्चिम की ओर निकल गया है। गौड़ा की लंबाई चौड़ाई को काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नक्शा में अ,ब,स,द से दर्शित किया

निरंतर

है। उक्त जगह पर पूर्व में कच्ची दीवाल थी जो अभी सड़क गिरने के पश्चात तोड़ कर नवीन ईंटों की दीवाल बनाने के लिये मेटेरियल इकट्ठा किया है। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने कच्ची दीवाल यह कह कर तुड़वा दी कि यह अच्छी नहीं लगती है इसके पक्की बनवा लो। जैसे ही दीवाल तोड़कर बनवाना प्रारंभ किया। अनावेदकगण ने पुलिस थाना सुरपुरा में सांठ गांठ कर झूठी कर कार्य रुकवा दिया। एस.एम. अटेर के यहाँ भी आवेदन दिया जिससे दीवाल कुछ समय के लिये रोक दी गई। दीवाल पुश्तैनी है। यदि उन्हें दीवाल का निर्माण कार्य करने से रोका गया तो उन्हें क्षति कारित होगी तथा कुटी की मशीन, टीन, जानवरों को खुले में बाधेंगे तो उनके चुराने का भय रहेगा। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कच्ची दीवाल को तोड़ कर पक्की ईंटों की दीवाल बनाने में अनावेदकगण द्वारा कोई भी हस्तक्षेप करने से रोके जाने की सहायता चाही है।

3. अनावेदकगण/वादी की ओर से आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि वादोक्त जगह पर प्रतिवादीगण व उसके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादीगण ने लिडोरी को अपनी बताकर पुश्तैनी कब्जा बताया गया है। जिसे एस.डी.ओ. द्वारा अपने आदेश से रोका गया था। बाद में आवेदकगण ने जबरन नींव खोदकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। आर.सी. सी. रोड गाँव में 4 वर्ष पूर्व डाली जा चुकी है। अतः आर.सी.सी. से गौड़ा दो भागों में बट जाना महज कल्पना है। प्रतिवादीगण से वादीगण द्वारा गौड़ा की दीवाल तोड़कर पक्का निर्माण करने को नहीं कहा गया। जब वादोक्त जगह में प्रतिवादी का कभी कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं रहा है। तब ऐसी दशा में उन्हें दीवाल निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः आवेदकगण प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला नहीं है। वह कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1. क्या आवेदक/प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया वाद है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन आवेदक/प्रतिवादी के पक्ष में है ?
3. क्या आवेदक/प्रतिवादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी ना

निरंतर

किए जाने से उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?

!! विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 !!

5. उभय पक्ष की ओर से अपने अपने अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अनावेदक/वादीगण की ओर से अपने समर्थन में ग्राम पंचायत सुरपुरा का दिनांक 6.2.13 का पंचनामा, अदम चैक क्रमांक 40/13 थाना सुरपुरा की छाया प्रति, एस.डी.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किये गये इस्तगासा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अदम चैक रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि विवादित जगह के संबंध में अनावेदक/वादी रामजीलाल द्वारा आवेदक एवं अन्य के विरुद्ध थाना सुरपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा उक्त जगह के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया है। सरपंच एवं पंचों द्वारा प्रस्तुत किये गये पंचनामा के अनुसार विवादित जगह रामजीलाल एवं कैलाश नारायण कटारे के मकान के सामने होकर उनके स्वत्व की है।
6. आवेदक/प्रतिवादीगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी अटेर के प्र.क्र. 46/2013X145 द.प्र.स. के आदेश दिनांक 27.08.2013 एवं 29.08.2013 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी/आवेदक को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है तथा जॉच प्रतिवेदन थाना प्रभारी से तलब कराया गया है। एक पंचनामा सरपंच शांतीदेवी एवं अन्य पंचों के हस्ताक्षरित दिनांक 08.1.14 प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार रामदत्त के मकान के आगे आर.सी.सी. सड़क के बाद जगह चबूतरा नीम का पेड़ तथा विवादित जगह अनावेदक/प्रतिवादीगण के आधिपत्य की है। इस प्रकार एक ही सरपंच द्वारा दोनों पक्षों के सम्बन्ध में उनके पक्ष में पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। अतः उनसे कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।
7. थाना सुरपुरा में सुरेश द्वारा अनावेदक कैलाश एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 28.02.13 को एक अदम चैक रिपोर्ट क्रमांक 41/13 लेख कराई गई है। जो विवादित जगह पर हुये विवाद के सम्बन्ध में है। जिसमें आवेदक पक्ष को आई उपहति के संबंध में एल.एल.सी. रिपोर्ट भी संलग्न की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह दर्शित होता है कि दस्तावेज विवादित जगह पर दोनों पक्षों के मध्य हुये आपसी विवाद से सम्बन्धित है।

निरंतर

8. अनावेदकगण की ओर से सूची मुताबिक प्रस्तुत प्रतिवेदन अप.क्रं. 1/14 दिनांक 12.01.14 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें रामजीलाल शर्मा द्वारा पुनः संजू, सुरेन्द्र, पवन एवं रामदत्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है तथा एस.डी.एम. द्वारा मंगाये गये प्रतिवेदन, थाना प्रभारी सुरपुरा द्वारा लिये गये कथन एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गाँव वालों में से किसी ने कथन नहीं दिये। सम्पूर्ण जाँच से नीम के पेड़ के नीचे वाली जगह रामजीलाल एवं कैलाश नारायण कटारे की होना प्रतीत होती है, जो उनके मकान के सामने है। इस प्रकार प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से विवादित भूमि के स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। दोनों ही पक्षों द्वारा अपना अपना दावा विवादित भूमि पर किया गया है। किसी भी पक्ष का स्वत्व एवं आधिपत्य मानने के लिये कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है। आवेदक एवं अनावेदकगण के कथन से थाना प्रभारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष स्वत्व एवं आधिपत्य के प्रमाणन हेतु पर्याप्त नहीं है।
9. उभय पक्ष की सहमति से मौके का कमिश्नर प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। कमिश्नर द्वारा दिनांक 02.02.14 को मौके पर जाकर पंचनामा, नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ खींचें तथा विस्तृत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने मौके की संपूर्ण स्थिति का विवरण अपने प्रतिवेदन में दिया है। उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा से यह दर्शित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा दिये गये नक्शा वास्तविक स्थिति के विपरीत रहे हैं। वादी का यह कहना है कि मुताबिक नक्शा विवादित जगह के दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर उसके मकान बने हैं, लेकिन दक्षिण की ओर मकान ना होकर आर.सी.सी. सड़क है। पश्चिम एवं उत्तर की ओर वादीगण की खुली जगह होना बताई गई है। आवेदक/प्रतिवादी रामदत्त एवं सुरेश के सामने आर.सी.सी. रोड है उसके बाद विवादित जगह है। प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित स्थल का अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है जिस पर मौके पर कोई निर्माण होना नहीं पाया गया है ना ही मौके पर कोई बाउण्ड्री वाल बनाई गई है। विवादित स्थल के पश्चिम में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर 6 फुट 6 इंच कच्ची मिट्टी की दीवाल के बाद जमीन लेबिल से करीब 1 फुट ऊंची ईट गारे की दीवाल बनी है जो 9 फुट लंबी व 9 इंच चौड़ी है। उत्तर दिशा की ओर फिर

निरंतर

एक फुट कच्ची दीवाल बनी है जो पूरब पश्चिम 21 फीट 8 इंच लंबी है जो कच्ची मिट्टी की बनी है। जो आर.सी.सी. की रोड से 2 फुट ऊँचाई पर बनी है। पूर्व से पश्चिम दक्षिण की भुजा 8.6 फीट लंबी है। उक्त 8.6 फीट में आर.सी.सी. की रोड से 4 फीट 9 इंच ऊँची मिट्टी की दीवाल बनी है। शेष दीवाल गिर गई है। विवादित स्थल पर काफी ईंट बिखरी पड़ी हैं।

10. इस प्रकार विवादित स्थल पर कोई पक्का निर्माण नहीं है। टूटी दीवाल है नीम का पेड़, खूटा एवं लिडोरी आदि बनी हैं। उक्त विवादित स्थल पर उभय पक्ष के मध्य विवाद है। अनावेदक/वादी का कहना है कि उनके नक्शा के मुताबिक अ,य,ल,र, जगह पर नींव खोदकर प्रतिवादीगण/आवेदक निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई निर्माण कार्य होना दर्शित नहीं हुआ है। उभय पक्ष को उक्त जगह पर अपना-अपना दावा एवं प्रतिदावा में स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करना है।
11. उपरोक्तानुसार आवेदकगण/प्रतिवादी एवं अनावेदकगण/वादी द्वारा विवादित भूमि पर किसी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति होना प्रमाणित नहीं होता है। विवादित जगह अभी फर्द जगह है। उस पर यथा स्थिति बनाये रखने एवं प्रकरण के गुणदोष पर निराकरण तक उभय पक्ष को निर्माण कार्य करने से रोके जाने, उभय पक्ष के मध्य निरन्तर होते रहे विवादों की रोक थाम हेतु यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना उचित होगा। अतः उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार विवादित स्थल पर प्रकरण के विचारण तक उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना करे ना ही कोई निर्माण कार्य करेंगे।
12. उपरोक्तानुसार आवेदकगण/प्रतिवादी का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं.3 निराकृत किया जाता है।
13. उभय पक्ष आवेदन पत्र का अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।
14. उक्त आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।।

निरंतर

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टाईप किया गया ।

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

निरंतर